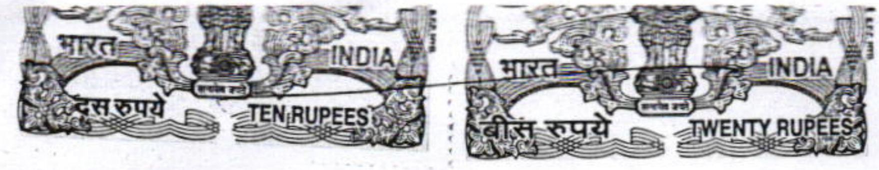

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

==

निगरानी प्रकरण क्रमांक नि0 – 3072 – I – 16 सन् 2016

रामस्वरूप तनय श्री चुंटा आयु 34 वर्ष निवासी

महाराजगंज जिला छतरपुर म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

बनाम

1, तेजराम तनय पुल्ली

2, सीताराम तनय पुल्ली

3, ददइया तनय श्री खुरखुर समस्त अनावेदकगण

काशिगण निवासी महाराजगंज तहसील ~~xxxxxx~~

बड़ामलहरा जिला छतरपुरम0प्र0 — गैरनिगरानीकार्गण

मुकेश भार्गव एड. आज दि. 07-9-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के

अपील क्रमांक 20/अ–19/14–15 में पारित

आदेश दिनांक 26/8/16के विरूद्ध

===================================

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है :-

1, यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के द्वारा रा0 प्र0 7/अ–19/88–89 में पारित आदेश दिनांक 24/4/1989 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में 120/अपील/अ–19/15–16 में प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील 120/अपील /अ–19/15–16 पर अंकित हुई एवं सुनवाई में ली गई इस अपील मे न तो रिस्पोंडेंट सम्मन को आहूत किये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख बिना बुलाये इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि पक्षकारो के मध्य सिविल वाद लम्बित है और सिविल वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है इसलिये यदि अपील क्रमांक 20अपील/अ–19/14–15 में आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3072-एक/2016 जिला छतरपुर रामस्वरूप विरूद्ध तेजराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-19/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

3

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01-2-19
सदस्य